

कार्यालय,
सचिव, ज्ञानिक शिक्षा परिषद्,
सत्र प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राप्ति/परिषद् समझौता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 16-9-2020

—कार्यालय झाप—

जिल्हा भारतीय लक्ष्मी की शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा सत्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपर्युक्त ज्ञानिक शिक्षा परिषद्, ०१५० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक १४-८-२०२० को अध्यक्ष, ज्ञानिक शिक्षा परिषद्, ०१५० लखनऊ की अध्यक्षता में उपर्युक्त ज्ञानिक में बैठक सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता/विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित इन सभी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्देन्द्रि में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संबद्धित जरूरी दाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विवरण कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“निजी सेवा में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संबद्धित करने वाली संस्थाएं, जो प्राधिक शिक्षा परिषद्, ०१५० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने, पर समिति द्वारा विचार-विवरण किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राधिक शिक्षा परिषद्, ०१५० लखनऊ सत्र 2020-21 हेतु निम्नान्वित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	४८१	स्टार्टी डिप्लोमा इन्स्टीट्यूट ऑफ फैर्मेसी साइंस, विलेज-पिंजाया, पी०-गैरीपुर, उत्ती०	डिप्लोमा इन फार्मेसी	८०	६०

समझौता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या ए०आई०सी०टी०१०१०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः गत्तन करें।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राधिक शिक्षा परिषद् एवं १९८२ तथा प्राधिक शिक्षा परिषद् विनियमनाली १९९२, सेमेस्टर विनियमनाली-२०१५ तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करें। तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन दर्जों इ३१० पाठ्यक्रमों हेतु ₹०-३०,१५०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-४५,०००.००/-प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अंतरिक्ष) हेतु ₹०-२२,५००.०० प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अंतरिक्ष छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समेय पर

三

ANSWER

卷之三

प्रकाशन संस्कारणीय संस्था । १२०२/१२५७

Werkje Speler, 09/09/2024

卷之三

मील वाले अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब, कि विद्यालयों की सरकारी शिक्षा और सेवा, यह दिवारी तक तिक्टोड़ तक 2021-22 तक विद्यालय सरकारी शिक्षा विभागों को आगे बढ़ाव देना है, जो कि इस विभाग के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तराधिकारी विद्यालय सरकारी शिक्षा विभाग ने इसका उत्तराधिकारी विद्यालय सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तराधिकारी विद्यालय सरकारी शिक्षा विभाग ने इसका उत्तराधिकारी विद्यालय सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था।

मानव संस्कृति की दृष्टि से रेतों परे बिंब के व्यक्ति में जिस तरह से अधिकारिक विकास होता, वह उपर्युक्त वर्ष का 2021-22 ऐ अधिकारिक वर्षी के अन्तर्गत व्यक्ति का एक अद्वितीय वर्ष होगा।

NAME OF THE INSTITUTION : AMR-BIOME VIVEKANAND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, - VILL - RICHYA, POST- MEHRPUR, RAJASTHAN-322009.

प्रतिवर्षीय अनुमोदित बजेट राशि 2021-22 में
निम्न अनुमोदित बजेट राशि

— 3 —

संस्था परिषद्,

सम्बद्धता विस्तार प्रदान

नियांक: दिनांक: 20/09/2022

संक्षेप:-

प्रमाणित जापन:-

विस्तार परिषद्, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा गैलिक सत्र 2022-23 की शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, शुल्क विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया गया है। शुल्क में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाएँ घाट्यक्रम/ प्रदेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य भर्ती पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, 30 प्र० लखनऊ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया गया है। इसमें अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जारी है:-

नियांक कोड एवं नाम : 4891-SWAMI VIVEKANAND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE

प्राविधिक समिति कोड	प्राविधिक समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित
प्राविधिक समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित	23 हेतु अनुमोदित प्रदेश क्षमता
प्राविधिक समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित	क्षमता
60	60

1 DIPLOMA IN PHARMACY

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0इ0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अतिरिक्त हेतु ₹0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अतिरिक्त ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे। और छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे। और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छर्तों को ही प्रदेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,